<u>करार</u>

यह करार नई दिल्ली में .... माह, 2006 की .... तिथि को

प्रसार भारती (श्री .... मुख्य अभियंता, एआईआर संसाधन, महानिदेशालय : ऑल इंडिया रेडियो के प्रतिनिधित्व में), जो प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है, जिसका मुख्य कार्यालय पीटीआई बिल्डिंग, द्वितीय तल, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 (भारत) में स्थित है, (जिसे इसके बाद लाइसेंस प्रदाता कहा गया है) एक पक्षकार जिसके अभिप्राय में उत्तराधिकारी तथा नियुक्त व्यक्ति शामिल है।

और

श्री .... के माध्यम से कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत **मैसर्स** ...., जिसका पंजीकृत कार्यालय .... में स्थित है, (जिसे इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है) द्वितीय पक्षकार जिसके अभिप्राय में उत्तराधिकारी तथा नियुक्त व्यक्ति शामिल है,

के बीच

सम्पन्न हुआ है।

जबकि लाइसेंस प्रदाता रेडियो तथा टेलीविजन प्रसारण के कार्य में लगा है और उक्त प्रयोजनार्थ कतिपय आधारभूत सुविधाओं का स्वामी है;

और जबकि भारत सरकार ने एफएम रेडियो चैनलों के आबंटन हेतु वर्ष 2005 में बोली आमंत्रित की और लाइसेंसधारी ने .... में एक एफएम चैनल हेतु सफलतापूर्वक बोली लगाई जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा उसे आशय-पत्र जारी किया गया।

और जबकि भारत सरकार द्वारा घोषित निजी एफएम रेडियो नीति (चरण-II) की शर्तों के अनुसार, सफल बोलीदाताओं को लाइसेंस प्रदाता की मौजूदा बुनियादी सुविधाओं के साथ ही प्रसारण सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी और साझी सुविधाओं को मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरी कंसलटैंट्स इंडिया लि0 (जिसे इसके बाद बेसिल कहा गया है) द्वारा समेकित किया जाएगा। इन परिस्थितियों में लाइसेंसधारी ने लाइसेंस प्रदाता से .... में स्थित उसकी बुनियादी सुविधाओं जैसे टावर एपरचर, खुला स्थान (भूमि)/आबद्ध स्थल (भवन) तथा अन्य सुविधाओं (जिसे इसके बाद लाइसेंसशुदा आधारभूत सुविधा कहा गया है) का उपयोग करने की अनुमति हेतु अनुरोध किया है।

और जबकि लाइसेंस प्रदाता इस करार पर हस्ताक्षर करने की तिथि से तीस (30) दिनों के भीतर, इसके पश्चात् निर्धारित निबंधन व शर्तों पर लाइसेंसधारी को उपर्युक्त लाइसेंसशुदा बुनियादी सुविधाएं (पैरा 3 में यथोल्लिखित) उपलब्ध कराने पर सहमत है।

दोनों पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार सहमति हुई है :

1. परिभाषाएं :

1.1 इस करार के प्रयोजनार्थ, जब तक की संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो

(i) **साझा प्रसारण बुनियादी सुविधाएं** (सीटीआई) से एंटीना, कम्बाइनर, आरएफ केबल, पावर सप्लाई और लाइसेंसशुदा बुनियादी सुविधाओं पर अधिष्ठापित की जाने वाली सुविधाएं अभिप्रेत एवं शामिल हैं जिनका एफएम चैनलों के विभिन्न आशय-पत्र/अनुमति धारी और प्रसार भारती (जहां कहीं भी प्रयोज्य हो) करेंगे।

(ii) **साझा क्षेत्र** से सीटीआई के अधिष्ठापन तथा उपयोग हेतु विभिन्न लाइसेंसधारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले भूखण्ड एवं भवन से अभिप्रेत है।

2. अवधि

यह करार इसके निष्पादन की तिथि से लागू होगा और लाइसेंसधारी को आबंटित एफएम चैनल को प्रचालित किए जाने की तिथि से दस वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।

3.0 प्रतिफल

3.1 लाइसेंसधारी अग्रिम रूप से वार्षिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान लाइसेंसशुदा बुनियादी सुविधाओं के प्रयोग हेतु इस करार पर हस्ताक्षर करते समय लाइसेंस प्रदाता को करेगा जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र.सं.	लाइसेंसशुदा	दर	मात्रा	लाइसेंस शुल्क

	बुनियादी सुविधाएं			**प्रति वर्ष**
क	टावर	……… लाख रु. प्रति वर्ष	एक	……………रु.

ख	खुला स्थान	…………. रु. प्रति वर्ग मी. प्रति वर्ष	………….. वर्ग मी.* (बेसिल द्वारा प्रस्तुत लेआऊट योजना के अनुसार)	…………..रु.**
ग	आबद्ध स्थान#	………… रु. प्रति वर्ग मी. प्रति वर्ष	………….. वर्ग मी.* (बेसिल द्वारा प्रस्तुत लेआऊट योजना के अनुसार)	…………..रु.**
घ	साझी सुविधाएं	1.0 लाख रु. प्रति वर्ष	एलएस	1.0 लाख रु.
ड.	एंटीना#	………. लाख	एक सेट	……… लाख रु.

		रु. प्रति वर्ष		
च	कर (यदि लागू हो)	@.........%		.... रु.
	कुल (क+ख+ग+घ+ड+च)			.... रु.

(# जो लागू न हो काट दें।)

*	इसमें प्राइवेट प्रसारकों के बीच साझेदारी आधार पर प्रयुक्त साझा क्षेत्र शामिल है।

**	लाइसेंस शुल्क/प्रतिभूति जमा राशि में बदलाव हो सकता है और शेष लाइसेंस शुल्क/प्रतिभूति जमा राशि का भुगतान/वापसी अंतिम परिमापन के पश्चात् की जाएगी जो अधिष्ठापन कार्य पूर्ण होने के पश्चात् मैसर्स बेसिल तथा एआईआर/डीडीके प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित/परिभाषित किया जाएगा।

@	क्र.सं. क, ख तथा ग के संबंध में लाइसेंस शुल्क प्रसार भारती/सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के शहरों (पृथक रूप से जिसे अधिसूचित किया जाएगा) हेतु निर्धारित/अनुमोदित दर के अनुसार होंगे।

टिप्पणी : लाइसेंसधारी समय-समय पर जहां कहीं लागू हो करों का भी भुगतान करेंगे।

3.2 वार्षिक लाइसेंस शुल्क निम्नानुसार बढ़ाया जाएगा :

क) खुला/आबद्ध स्थल तथा साझी सुविधाओं हेतु प्रत्येक दो वर्ष के बाद 10 प्रतिशत।

ख) टावर के लिए प्रत्येक वर्ष के बाद 2.5 प्रतिशत।

3.1 इस करार के तहत भुगतान की कारगरता के प्रयोजनार्थ प्रथम वर्ष की शुरूआत लाइसेंसधारी अथवा उसकी ओर से बेसिल को टावर एपरचर तथा खुला स्थान/आबद्ध स्थल उपलब्ध कराने की तिथि से समझी जाएगी।

3.2 लाइसेंस शुल्क का परवर्ती भुगतान (विनिर्दिष्ट वृद्धि सहित) आगामी वर्ष हेतु अग्रिम किराए के रूप में 12 माह की समाप्ति के पश्चात् प्रत्येक वर्ष देय होगा। इस राशि का भुगतान देय तिथि से पूर्व 15 दिनों के भीतर करना होगा और ऐसा न करने पर जारी एसबीआई पीएलआर + 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया जाएगा।

3.3 सभी भुगतान किसी अनुसूचित बैंक पर आहरित "प्रसार भारती" नई दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा किए जाएंगे जो नई दिल्ली में देय हो।

4. प्रतिभूति जमा

लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्रदाता को प्रतिभूति जमा राशि के जरिए एक वर्ष के लाइसेंस शुल्क के बराबर राशि का भुगतान भी करना

होगा जो इस करार की समाप्ति पर लाइसेंसधारी को बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जाएगा। प्रतिभूति राशि का भुगतान उपर्युक्त 3.5 में विनिर्दिष्ट तरीके से इस करार पर हस्ताक्षर करने की तिथि को अथवा उससे पूर्व किया जाएगा।

5. लाइसेंस प्रदाता के उत्तरदायित्व

5.1 बेसिल द्वारा सीटीआई तथा कार्यक्रम संपर्क और लाइसेंसधारी द्वारा ट्रांसमीटर आदि के संबंध में विनिर्दिष्ट पैरामीटरों के अनुसार कार्यक्रम अत्यावश्यकताओं के शर्ताधीन लाइसेंसधारी को सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच लगातार छः घंटों के लिए ट्रांसमीटर, इससे संबंधित उपकरण के अधिष्ठापन और सीटीआई के समेकन संबंधी कार्य को करने की अनुमति प्रदान करना।

5.2 लाइसेंस प्रदाता लाइसेंसधारी अथवा उनकी ओर से बेसिल को प्रवेश सुरक्षा मानदंडों का अनुसरण करवाकर बिना किसी रोक-टोक के ऐसे सिविल कार्य जो लाइसेंस प्रदाता की पारेषण सुविधाओं में हस्तक्षेप न करें, करने की अनुमति प्रदान करने पर सहमत हो।

5.3 समय-समय पर स्वयं अपने खर्च पर टावर एपरचर की देखभाल एवं मरम्मत कार्य करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टावर एपरचर सही स्थिति में हो और उस अवधि के दौरान लक्षित प्रयोजन हेतु तत्पर रहे।

5.4 यह सुनिश्चित करना कि लाइसेंसशुदा बुनियादी सुविधाओं के संबंध में करों, यदि कोई हो, का भुगतान किया जाए।

5.5 लाइसेंसशुदा भवन से संबंधित प्रमुख मरम्मत कार्यों को स्वयं अपने खर्च (जहां लागू हो) पर निपटाना।

5.6 लाइसेंस प्रदाता को सभी जमा राशि/लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् लाइसेंसशुदा बुनियादी सुविधाओं से संबंधित कोई अपेक्षित 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' प्रदान करना।

6. लाइसेंसधारी के उत्तरदायित्व

6.1 लाइसेंसधारी किसी भी प्रकार से लाइसेंस प्रदाता द्वारा सीटीआई के जरिए सेवाओं के प्रसारण पर आपत्ति नहीं करेगा और लाइसेंस प्रदाता इसके प्रयोग के लिए किसी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करेगा जिनमें प्रारंभिक लागतें तथा जहां कहीं भी लाइसेंस प्रदाता की आरएफ श्रृंखला को जोड़ने की आवश्यकता हो, आवर्ती लागतें शामिल होंगी।

6.2 इसके द्वारा विशेष रूप से उसे लाइसेंस आधार पर प्रदत्त आधारिक सुविधाओं का उपयोग करना और केवल उसी प्रयोजनार्थ उपयोग करना जिसके लिए करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस प्रकार के उपयोग की अनुमति किसी ऐसे तीसरे पक्षकार को नहीं दी जाएगी जो इस करार पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।

6.3 निम्नलिखित को निष्पादित करने के लिए लाइसेंस प्रदाता से लिखित रूप से पूर्वानुमति प्राप्त करना :

i. एंटीना/आरएफ केबल/एएसएफ*/कम्बाइनर* का अनुरक्षण अथवा मरम्मत कार्य

(*जो लागू न हो उसे काट दें)।

ii. कोई अतिरिक्त निर्माण कार्य।

6.4 निर्माण/संशोधन हेतु स्थानीय निकायों से यथापेक्षित सभी अनुमति प्राप्त करना और इनसे संबंधित सभी बकायों तथा करों का भुगतान करना।

6.5 समुचित प्राधिकारी से विद्युत आपूर्ति हेतु स्वयं प्रावधान करना और प्रारंभिक लागत और समय-समय पर विद्युत बिलों का भुगतान करना।

6.6 तकनीकी पैरामीटरों तथा पारेषण हेतु मानकों सहित सभी लागू विधानों, नियमों तथा विनियमों का हर समय पालन करना।

6.7 उसे लाइसेंस भूखण्ड पर निर्मित भवन और इसमें लगे फिक्सर्स का स्वयं अपने खर्चे से रखरखाव करना।

6.8 एआईआर/डीडी/इग्नू सेवाओं में लाइसेंसधारी के प्रसारण के कारण आने वाली बाधाओं, यदि कोई हो, को दूर करने ताकि लाइसेंस प्रदाता इससे पूर्णतः संतुष्ट हो, के लिए आरएफ श्रृंखला में अपेक्षित आरएफ फिल्टर की व्यवस्था करना।

6.9 इस करार के समाप्त हो जाने पर अपने सुपरनिर्माणों तथा फिक्सर्स को स्वयं अपने खर्चे पर हटाना और लाइसेंसशुदा बुनियादी सुविधाओं को समुचित दशा में लाइसेंस प्रदाता को पुनः लौटाना।

7. दोनों पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि :

7.1 लाइसेंस प्रदाता की आरएफ श्रृंखला के साथ जोड़े गए सभी सीटीआई उपकरणों की एक लॉक-इन अवधि होगी जो इस करार को निष्पादित किए जाने की तिथि से लागू होगी और इसे प्रचालित किए जाने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी।

7.2 किसी उपकरण को अधिष्ठापन/समेकन/प्रचालन में विलम्ब के कारण लाइसेंसधारी को होने वाले किसी नुकसान के लिए लाइसेंस प्रदाता जिम्मेदार नहीं होगा।

7.3 लाइसेंसधारी ही लाइसेंस प्रदाता के परिसर में अपने उपकरणों तथा कर्मियों (चाहे वह कर्मचारी, एजेंट अथवा अन्य कोई हों) की हर वक्त सुरक्षा के लिए एकमात्र जिम्मेदार होंगे और किसी भी परिस्थिति में किसी कर्मचारी अथवा लाइसेंसधारी

के किसी प्रतिनिधि अथवा लाइसेंसधारी के साथ लेन-देन करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी दावे के कारण किसी नुकसान अथवा हानि के लिए लाइसेंस प्रदाता जिम्मेदार नहीं होगा।

7.4 यह कि लाइसेंस प्रदाता लाइसेंसधारी को इस करार की अवधि के लिए लाइसेंसशुदा बुनियादी सुविधाओं के शांतिपूर्ण एवं सादे ढंग से उपयोग करने की अनुमति देगा। तथापि, किसी आपात अथवा तकनीकी जरूरत की स्थिति में लाइसेंस प्रदाता को यह अधिकार होगा कि वह लाइसेंसधारी को लाइसेंसशुदा बुनियादी सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति न दे। लाइसेंस प्रदाता लाइसेंसधारी को आपात स्थिति तथा तकनीकी आवश्यकता के बारे में जहां तक संभव हो, अग्रिम रूप में सूचना देगा। तथापि, किसी भी ऐसे गैर-प्रावधान हेतु होने वाले किसी नुकसान अथवा हानि के लिए लाइसेंस प्रदाता जिम्मेदार नहीं होगा। इस संबंध में लाइसेंस प्रदाता का निर्णय अंतिम होगा।

7.5 इस करार के तहत मंजूर अनुमति में प्रयोग हेतु मात्र एक कोरा लाइसेंस ही होता है और लाइसेंसधारी को इसके द्वारा लाइसेंसशुदा बुनियादी सुविधाओं में कोई अधिकार, हकदारी अथवा लाभ अंतरित नहीं किया जाता है। लाइसेंसशुदा बुनियादी सुविधाओं में प्रवेशाधिकार तथा निर्गमनाधिकार पूर्णतः लाइसेंस प्रदाता के नियंत्रणाधीन होगा।

7.6 लाइसेंस प्रदाता तथा/अथवा इसके किसी कर्मचारी के पास वास्तविक प्रयोजन की कोई सूचना दिए बिना लाइसेंसशुदा बुनियादी सुविधाओं सहित प्रसारण संबंधी आधारभूत सुविधाओं (उदाहरण – लिंक उपकरण तथा सिस्टम ट्रांसमीटर कॉम्प्लेक्स) का मौके पर निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

7.7 लाइसेंसधारी द्वारा पैरा 7.1 में किए गए प्रावधान को छोड़कर अपनी चल-सम्पत्तियों को इस करार के समाप्त होने के पश्चात् स्थल से न हटाए जाने की स्थिति में, उसे इससे होने वाले नुकसान के लिए यथानुपात आधार पर प्रति वर्ग मी. वार्षिक किराए की पांच गुनी राशि के बराबर भरपाई करनी होगी।

7.8 यदि लाइसेंस प्रदाता द्वारा साझा एंटीना का उपयोग किया जाता है और/अथवा एंटीना स्विच फ्रेम (एएसएफ) पैनल लाइसेंसधारी के उपकरण के साथ स्थित है, एएसएफ पैनल को अलग कर लिया जाएगा और आर-पार देखे जा सकने वाली एक विभाजक दीवार खड़ी की जाएगी जिसमें बाहर से आने-जाने के लिए एक दरवाजा होगा, जिसमें यह व्यवस्था होगी कि मौजूदा एफएम ट्रांसमीटर भवन से एआईआर/इग्नू से आने वाली सम्मिलित आर.एफ. आउटपुट को सीधे एंटीना स्विच फ्रेम के साथ जोड़ा जा सके। लाइसेंस प्रदाता के साथ साझेदारी वाली सीटीआई में गड़बड़ियों को ठीक करने हेतु लाइसेंस प्रदाता/इसके प्रतिनिधियों के साथ समन्वय के प्रयोजनार्थ लाइसेंस प्रदाता का एक नोडल प्रतिनिधि अभिनिर्धारित किया जाएगा।

7.9 इस करार के पंजीकरण से संबंधित स्टाम्प ड्यूटी और अन्य खर्चों को लाइसेंसधारी वहन करेगा।

7.10 सेवाओं को बंद करने अथवा कम किए गए पावर आपरेशन जिसकी जिसकी जरूरत मरम्मत/प्रतिस्थापन संबंधी कार्यों के लिए हो सकती है, का निर्णय लाइसेंस प्रदान करने वाला लाइसेंसधारी के परामर्श से करेगा।

8. विशेष आकस्मिक स्थिति

इस लाइसेंस अवधि के दौरान, किसी युद्ध, दुश्मनी, दुश्मनी की कार्रवाई, नागरिक अशांति, तोड़फोड़, आगजनी, बाढ़, राज्य की कार्रवाई, धमाके, महामारी, संगरोधन प्रतिबंध, हड़ताल जो प्रभावित पक्षकार के किसी दायित्व के निर्वहन को बाधित करे अथवा दैवीय घटना अथवा कोई ऐसा कारण जो नियंत्रण के बाहर हो (इनमें से सभी अथवा किसी एक कारण को इसके बाद **"विशेष आकस्मिक स्थिति"** कहा गया है), के कारण किसी भी पक्षकार के दायित्व निर्वहन में पूर्णतः अथवा अंशतः, बाधा आती है अथवा विलम्ब होता है, तो कोई भी पक्षकार इस प्रकार की विशेष आकस्मिक स्थितियों के कारण इस करार को समाप्त करने का हकदार नहीं है और न ही दोनों पक्षकार इस प्रकार के गैर-निष्पादन अथवा विलम्बित निष्पादन के संबंध में एक-दूसरे पर कोई दावा करेगा बशर्ते इस प्रकार की "विशेष आकस्मिक स्थिति" होन की तिथि से 21 दिनों के भीतर पीड़ित पक्ष अन्य पक्ष को इस प्रकार की विशेष आकस्मिक स्थिति के बावत कोई सूचना दे।

9. क्षतिपूर्ति

लाइसेंसधारी एतदद्वारा उसके द्वारा इस करार में कोई कोताही बरतने अथवा उल्लंघन के कारण अथवा इसके द्वारा किसी प्रसारण अथवा इसकी ओर से किसी भूलचूक के कारण होने वाले सभी खर्चों, दावों, मुकदमेबाजी, कार्रवाई, फैसलों, लागतों, कार्यवाहियों, अभियोजनों, कुर्की के आदेश आदि से तथा एवज में क्षतिपूर्ति करेगा तथा लाइसेंस प्रदाता को इससे सुरक्षित रखेगा। यह खण्ड इस करार को समय-पूर्व समाप्त करने अथवा अवसान से बचाएगा।

10. अवसान

10.1 यदि लाइसेंसधारी इस करार का उल्लंघन करता है और इस बावत लाइसेंस प्रदाता से नोटिस प्राप्त होने से 45 दिनों के भीतर इसमें सुधार नहीं करता है तो लाइसेंस प्रदाता के विकल्प पर इस करार का अवसान किया जा सकता है। इस लाइसेंस के समाप्त होने की स्थिति में लाइसेंसधारी वर्ष की शेष अवधि जिसके लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया गया हो, हेतु अग्रिम लाइसेंस शुल्क की राशि की वापसी का पात्र नहीं होगा।

10.2 यह करार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा यदि :

क. लाइसेंसधारी तथा भारत सरकार के बीच निष्पादित अनुमति करार की मंजूरी रद्द कर दी जाती है;

ख. लाइसेंसधारी के पक्ष में डब्ल्यूपीसी द्वारा जारी एसएसीएफए क्लियरेंस/फ्रीक्वेंसी प्राधिकार वापस ले लिया जाता है।

10.3 लाइसेंसधारी द्वारा इस करार का अवसान जो लाइसेंसधारी द्वारा इस करार की शर्तों के उल्लंघन से जुड़ा न हो, करने हेतु लाइसेंसधारी को तीन माह का अग्रिम नोटिस देना होगा अथवा लाइसेंस प्रदाता को नोटिस देने के एवज में तीन माह के लाइसेंस शुल्क के बराबर राशि का भुगतान करना होगा। लाइसेंस शुल्क जमा न करने की स्थिति में लाइसेंस प्रदाता को प्रतिभूति जमा राशि में से सदृश राशि की वसूली करने का अधिकार होगा।

11. करार में संशोधन

यह करार दोनों पक्षकारों के मध्य पूर्ण समझबूझ को परिलक्षित करता है और इस करार में शामिल पक्षकारों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित लिखित दस्तावेजों को छोड़कर इसमें कोई परिवर्तन अथवा संशोधन नहीं किया जाएगा।

12. मध्यस्थता

इस करार के किसी पहलू से संबंधित कोई विवाद अथवा मतांतर होने पर प्रथमत: इस करार में शामिल पक्षकारों के बीच परस्पर परामर्श के जरिए इसे निपटाने का प्रयास किया जाएगा। यदि इस प्रकार के परामर्श के जरिए इस प्रकार के मतांतर अथवा विवाद का निपटान न किया जा सके, तो इसे अंतत: विवाचन तथा समायोजन अधिनियम, 1996 के उपबंधों के तहत मध्यस्थता द्वारा निपटाया

जाएगा। आगे यह भी सहमति व्यक्त की जाती है कि यह मध्यस्थता नई दिल्ली में सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मनोनीत एकमात्र विवाचक द्वारा की जाएगी और इसका फैसला अंतिम एवं दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

13. न्यायाधिकार

दोनों पक्षकारों के बीच उठे सभी विवाद विशेष रूप से दिल्ली स्थित न्यायालयों में ही निपटाए जाएंगे।

इस करार के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस करार को वर्ष .... के .... माह की दिनांक .... को सम्पन्न किया है।

हस्ताक्षरित, मोहरबंद एवं प्रेषित

(आर.आर. प्रसाद)

मुख्य अभियंता, एआईआर रिसोर्सेस

(प्रसार भारती हेतु)

(....................................)

महा-प्रबंधक

मैसर्स .... हेतु एवं की ओर से

(बोर्ड संकल्प सं0 .... दिनांक .... के अनुसरण में निष्पादित)

की उपस्थिति में :

(आई.एस. मेहला)	(.............................)
महा-प्रबंधक (वाणिज्यिक),	....
एआईआर रिसोर्सेस, लाइसेंस प्रदाता,	....
आकाशवाणी भवन,	....
पार्लियामेंट स्ट्रीट,	
नई दिल्ली-110001	